न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–52/2018

CIS NO.-547/2018

शौकत मियाँ.....वादी

बनाम

जोखु साह उर्फ अमरेशा साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
18.11.2022	वादी की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख आवेदकगणों की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 15.12.2020 को दिये गये आवेदन के आदेश हेतु नियत है। आवेकदगणों की ओर से आदेश 1 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** आवेदकगणों की ओर से दिनांक 15.12.2020 को आदेश 1 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया गया। आवेदकगणों का कहना है कि वादी ने प्रस्तुत वाद में सम्मिलित वादग्रस्त भूमि में आवेदकगणों की खरीदगी भूमि पर भी यह वाद दायर किया है। इन्दु देवी बदस्त संजय कुमार व बबलू कुमार के नाम दस्तावेज सं0–1807 दिनांक 19.03.1999 को बेलाकलाम खरीद व हासिल किया है। इन्दु देवी ने अब्दुल अजीज अंसारी से दस्तावेज सं0–6588 दिनांक 23.05.1980 को खरीद किया है जिसमें बिक्रेता अब्दुल अजीज के निशान का बाकलन व पहचान वादी शौकत मियाँ ही थे। आवेदक वादग्रस्त जमीन के खाता 194 खेसरा 418 रकबा 7 कट्ठा में से 5 कट्ठा जमीन जिसकी चौहद्दी उत्तर–शौकत मियाँ, दक्षिण–शम्भू प्रसाद, पूरब–भैरव बाबू तथा पश्चिम–जोखू साह खरीद व हासिल किया है परंतु इस वाद के वादी शौकत मियाँ क्रेता संजय कुमार व बबलू कुमार को पक्षकार नही बनाये है। जबकि आवेदकगण इस वाद के जरूरी व उचित पक्षकार है तथा आवेदकगणों के अनुपस्थिति में कारगर निर्णय नही हो सकता है। अतः आवेदकगणों का आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने की कृपा करें। वादी की ओर से आवेदक संजय कुमार व बबलू कुमार द्वारा दाखिल आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 23.06.2022 को दाखिल किया गया। जिसमें आवेदकगणों की ओर से दाखिल आवेदन खारिज योग्य बताया गया तथा प्रश्नगत भूमि में आवेदकगणों का कोई हक व हकियत नही है तथा आवेदकगणों	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–52/2018
CIS NO.-547/2018

लगातार 18.11.2022	ने जो दस्तावेज निस्पादित कराये है वो बिना हकियत वाले विक्रेता के माध्यम से निस्पादित है। आवेदकगणों को उपरोक्त वाद में पक्षकार बनाने से न्यायालय की प्रक्रिया बाधित होगी तथा न्यायालय का किमती समय नष्ट होगा। कथित इन्दु देवी नामक महिला ने वादी के प्रश्नगत खाता खेसरा से 5 कट्ठा भूमि अजीज अंसारी से हासिल की है जो बिल्कुल जाली एवं बेबुनियाद दस्तावेज है तथा वादी के द्वारा अपनी भूमि के निस्वत किसी बिक्री दस्तावेज पर पहचान या गवाह के हैसियत से कोई निशान या दस्तखत नही बनाया है। आवेदक के कथित दस्तावेज पर वादी के हस्ताक्षर जैसा हस्ताक्षर जाली है। जिसकी कोई पाबंदी वादी पर या उसकी जायदाद पर नही है। आवेदकगण प्रतिवादीगण के मेल में प्रश्नगत भूमि के निस्वत जाली व फरेबी दस्तावेज निस्पादित कराकर वादी की भूमि को हडपने तथा हकियत साबित करने का असफल प्रयास कर रहे है। अतः आवेदकगणों का आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगणों द्वारा अपने आवेदक के समर्थन में निस्पादित दस्तावेज की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है। जिसमें खाता 194 खेसरा 418 की भूमि से संबंधित दस्तावेज है। अभी वाद प्रारंभिक अवस्था में है तथा आवेदकगणों द्वारा दाखिल दस्तावेज सही है या गलत है। इसका परीक्षण भी नही हुआ है। विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी वाद में सभी पक्षों को सुनकर अंतिम न्याय निर्णयन करना चाहिए। जिससे वादों की बहुलता को रोका जा सके। आवेदकगणों का भी इस वाद में हित है। अतः आवेदकगण भी इस वाद के आवश्यक पक्षकार प्रतीत होते है। अतः आवेदकगणों का आवेदन दिनांक 15.12.2020 को स्वीकार किया जाता है। वाद दिनांक 21.12.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	